न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO), भीण्डर जिला उदयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी : श्री रमेश चन्द्र बहेडिया, आर.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 73/25 (प्रा0पत्र)

GCMS No. : 2025/188

अनवान्

1. श्रीमती मदनकुंवर पत्नी श्री भैरूसिंह जाति राजपुत निवासी बजामंगरी मजरा बडगांव तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।
2. श्री ऊंकारसिंह पुत्र श्री भैरूसिंह जाति राजपुत निवासी बजामंगरी मजरा बडगांव तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।

............प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री मुकेश डांगी पुत्र श्री वरदी चंद डांगी जाति डांगी निवासी नारायणपुरा बडगांव तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।
2. श्री डूंगरसिंह पुत्र श्री भैरूसिंह जाति राजपुत निवासी बजामंगरी मजरा बडगांव तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।
3. श्री जगदीशचन्द्र मेनारिया पुत्र श्री खमेराज मेनारिया जाति ब्राह्मण्ण नियसी मेनार तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर राज.।
4. श्री जम्बुकूमार जैन पुत्र श्री मीठालाल जैन जाति जैन निवासी भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।
5. श्री विष्णुप्रसाद पुत्र विजयलाल जाति लोहार निवासी कीर की चौकी ढुंढिया तहसील मावली जिला उदयपुर राज.।
6. श्री भूमिधारी जरिये श्रीमान तहसीलदार साहब भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।

..................विपक्षीगण

उपस्थित–

1. श्री निर्मल सिंह शक्तावत, अधिवक्ता प्रार्थी।
2. श्री कैलाश चन्द्र चौबीसा, अधिवक्ता विपक्षी।
3. श्री उमेश माली, अधिवक्ता विपक्षी।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

—: : निर्णय : :—

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.09.16 15:02:38 IST
Reason: SelfAttested

दिनांकः—31.07.2025

1. प्रार्थी ने एक वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया साथ ही एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि मौजा बडगांव पटवार हल्का बडगांव तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज. के राजस्व रेकर्ड की जमाबंदी

अन्तिम चौसाला आधार सम्वत् 2078–2081 जमाबंदी 2078 (वर्ष 2021) व जमाबंदी कि खाता संख्या नया 491 कि आराजीयात खसरा संख्या 376 कुल किता 1 रकबा 0.4573 है. भूमि स्थित है जिसमें प्रार्थी संख्या 1 मदन 2166 / 4573 हिस्सा, प्रार्थी संख्या 2 ऊंकारसिंह का 817 / 4573 हिस्सा जगदीशचन्द्र का 439 / 18292 हिस्सा, जम्बुकुमार का 439 / 18292 डूंगरसिंह का 303 / 9146 हिस्सा, मुकेश डांगी का 967 / 4573 हिस्सा, वि का 252 / 4573 हिस्सा होकर राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। उपरोक्त कलम वर्णित आराजीयात प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 2 लगायत 6 के संयुक्त में राजस्व रेकर्ड मे अंकित होकर संयुक्त आधिपत्य में चला आ रहा है। और विपक्षी संख्या 2 लगायत 6 उक्त भूमि पर अपने अपने हिस्से पर होकर अपनी अपनी सुविधानुसार काश्त करते और भूमि का उपयोग उपभो चले आ रहे है मात्र राजस्व रेकर्ड में कानूनन बंटवाडा नहीं होने से उक्त व 1 में वर्णित भूमि संयुक्त खातेदारी में राजस्व रेकर्ड में अंकित है।

2. यह कि प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 2 लगायत 6 अपनी सुविधानुसार कब्जे होकर भूमि का उपयोग उपभोग करते चले आ रहें है जिस कारण से अ प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 6 द्वारा भूमि को लेकर प्रार्थीगण से विवाद होत है इसलिए भूमि का विधिवत विभाजन किया जाना आवश्यक है और ज विभाजन नहीं हो जाता विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किया न्यायोचित है। हाल में दिनांक 16.06.2025 को विपक्षी संख्या 2 डूंगर प्रार्थीगण के कब्जे काश्त कि भूमि को अपना बताते हुए भूमि का बिना बंटवाडा कराये भूमि को विपक्षी संख्या 1 मुकेश डांगी को भूमि विक्रय क और अब विपक्षी संख्या 1 द्वारा प्रार्थीगण के कब्जे काश्त कि भूमि से जबर भुजबल द्वारा प्रार्थीगण को भूमि से बेदखल करने पर आमादा है और प्रार्थीगण को अपने हिस्से कब्जे काश्त कि भूमि में जाने से रोक रहा है।

3. यह कि प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण सहखातेदार है प्रार्थीगण वादग्रस्त आराज रेकॉर्डेड खातेदार है इसलिए प्रथम दृष्टया मामला बनता है। विपक्षी संख्या प्रार्थीगण के हिस्से कब्जे काश्त कि आराजीयात को बिना विभाजन कराये संख्या 1 को विक्रय कर दिया है और अब विपक्षी संख्या 1 विक्रय के आ प्रार्थीगण के कब्जे काश्त कि भूमि को जबरन कब्जा करना चाहता है और प्र को अपने कब्जे काश्त से बेदखल करने पर आमादा है इसलिए प्रार्थीगण व आशोधनीय क्षति हो रही है, जिसका नकद में कोई मूल्याकंन नहीं कि सकेगा। इस प्रकार सुविधा [illegible] भी प्रार्थीगण के पक्ष में होने की व विपक्षीगण के विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमाया जाना न्याय संगत अतः विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किये जाने का निवेदन किय

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.09.16 16:02:38 IST
Reason: SelfAttested

4\. प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में विपक्षी संख्या 4, 5 के अनुपस्थित रहने इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। अधिवक्ता विपक्षी संख्या 2, 3 द्वारा जवाब पेश नहीं करना चाहा। प्रकरण में विपक्षी संख्या 1 की ओर से जवाब पेश किया गया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वर्तमान के राजस्व रेकर्ड में आराजी प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 1 से 5 तक के नाम संयुक्त दर्ज है लेकिन आराजी का विभाजन खातेदारों के बीच आपसी सहमती से पूर्व में ही किया जा चुका है और इसी कारण प्रत्येक खातेदार अपने अपने हिस्से पर काबिज हो आधिपत्य में है स्वयं प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 1 व 2 में इस तथ्य को स्वीकार किया है केवल राजस्व रेकर्ड में संयुक्त रूप से विपक्षी संख्या 1 सहित सभी खातेदारों नाम दर्ज है लेकिन खातेदार आपसी नोशनल पार्टीशन के आधार पर अपने अपने हिस्से पर काबिज हो काश्त करते आ रहें है। विपक्षी संख्या 2 प्रार्थीगणों एवं विपक्षी संख्या 3, 4, 5 के खातेदारों के बीच आपसी सहमती से नोशनल पार्टीशन कर रखा है और विभाजन के अनुसार ही सभी अपने अपने हक हिस्से एवं आधिपत्य में काबिज हो काश्त करते आ रहें है और समय–समय पर अपने हिस्से में से खातेदार अन्य व्यक्तियों को विक्रय करते रहें इसी कारण विपक्षी संख्या 2 के स्वामित्व, आधिपत्य एवं खातेदारी के हिस्से की आराजी जवाबकर्ता विपक्षी संख्या 1 को जरिये विक्रय पत्र दिनांक 14.06.2025 जो उप पंजियक कार्यालय भीण्डर में दिनांक 16.06.2025 को पंजीकृत किया गया से खरीद कर आधिपत्य प्राप्त किया गया उसके बाद प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 2 आदि के मन में बदनीयती आ गई और बिना वजह दिनांक 21.06.2025 को वादग्रस्त स्थल पर आकर विवाद किया जिसकी रिपोर्ट विपक्षी संख्या 2 व विपक्षी संख्या 3 जवाबकर्ता मुकेश के बीच दिनांक 23.06.2025 को आपस में साक्षीगण की उपस्थिति में राजीनामा कर नोटेरी से सत्यापित करवाया जिसमें प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 2 द्वारा क्रय सुदा भूमि के विभाजन एवं कब्जे बाबत् अपनी सहमती एवं रजामन्दी प्रदान की गई और पूर्व में हुए नोशनल बंटवारे को स्वीकार किया गया और इस हेतु अपने हस्ताक्षर करने हेतु पाबन्द हुए। उक्त राजीनामें में विपक्षी संख्या 1 द्वारा क्रय की गई भूमि के पडौस रूप से अंकित किये गये है।

5\. यह कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या [illegible] विपक्षी संख्या 2, 3, 4 एवं प्रार्थीगण के नाम हिस्से अनुसार सभी राजस्व अभिलेखों में दर्ज थी जिसमें विपक्षी संख्या 2 का रकबा 0.4573 आपसी नोशन पार्टीशन के आधार पर उसका कब्जा था इसी हिस्से कब्जे में से [illegible] कर्ता द्वारा 967/457 वां भाग को विधिवत् रूप से जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र के खरीद कर कब्जा प्राप्त किया जिसकी पुष्टि दिनांक 23.06.2025 को निष्पादित इकरारनामें से होती है ऐसी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.09.16 16:02:38 IST
Reason: SelfAttested

स्थिति में जब विभाजन होकर विपक्षी संख्या 1 विवादित आराजी में अपने आधिपत्य से काबिज है ऐसी स्थिति में उसे अस्थाई निषेधाज्ञा से कानूनन पा[बन्द] नहीं किया जा सकता है। विपक्षी संख्या 1 रिकोर्डड खातेदार, काश्तकार है। उसके विरूद्ध निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। प्रार्थीगणों का प्रार्थना मिथ्या, मनगढत आधारों पर होने से खारीज योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र खा[रिज] किये जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता विपक्षी द्वारा अपने जवाब के समर्थन निम्न न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये–

1 धीरज बनाम जगदीश रेवेन्यु बोर्ड अजमेर 2017(2)RRT 1358

2 भागीरथ बनाम रामचन्द व अन्य रेवेन्यु बोर्ड अजमेर 2018(2) RRT 1275

3 पानी बाई बनाम चन्द्रप्रकाश व अन्य रेवेन्यु बोर्ड अजमेर 2018(1) RRT 692

अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में कोई न्यायिक दृष्टान्त नहीं किये गये।

6. प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। हमने अधिवक्ता उ[भय] पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज अध्ययन किया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 अस्थाई निषेध[ाज्ञा] निर्णय के लिए तीनों बिन्दु पर विवेचन आवश्यक है

I. **प्रथम दृष्टया मामला** :– प्रकरण में प्रार्थी द्वारा मूलवाद बंटवाडे व स्थाई निषेध[ाज्ञा] का पेश किया गया तथा उसी के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश कर विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कि[ये] जाने का निवेदन किया जबकि विपक्षीगण प्रार्थनाग्रस्त भूमि के रेकॉडेड खातेद[ार] है। हमने पाया कि वर्तमान राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 1 से रेकॉडेड खातेदार है। प्रार्थनाग्रस्त भूमि विपक्षी संख्या 1 द्वारा प्रार्थनाग्रस्त भूमि हिस्से को अभिलिखत खातेदार से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 16.06.2025 से क्र[य] किया है तथा जिसका नामान्तरण पारित होकर विपक्षी संख्या 1 होकर रेकॉडे[ड] खातेदार है। रेकॉडेड खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के विरूद्ध निर्णित किया जाता हैं।

II. **अपूरणीय क्षति** :– प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के विरूद्ध साबित होने से अपूरणी[य] क्षति का बिन्दू भी प्रार्थी के विरूद्ध निर्णित किया जाता है।

III. **सुविधा संतुलन** :–प्रथम दृष्टया मामला, अपूरणीय क्षति के बिन्दु प्रार्थी के विरूद्ध म[ें] निर्णित किये जाने से उक्त बिन्दु भी प्रार्थी के विरूद्ध निर्णित किया जाता है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा मूलवाद बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया गया तथा उसी के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश कर बताया कि मौजा बडगांव पटवार हल्का बडगांव तहसील भीण्डर की आराजी न. 3792/156 किता

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahedya
Date: 2025.09.16 15:02:38 IST
Reason: SelfAttested

1 रकबा 0.4573 है. भूमि में प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 6 अपने अपने हिस्से पर काबिज होकर अपनी अपनी सुविधानुसार काश्त करते और भूमि का उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है मात्र राजस्व रेकर्ड में कानून बंटवारा नही होने से प्रार्थनाग्रस्त भूमि संयुक्त खातेदारी राजस्व रेकर्ड में अंकित हैं। यह कि हाल ही मे विपक्षी संख्या 2 डूंगरसिंह ने भूमि का बिना कानूनी बंटवारा कराये भूमि को विपक्षी संख्या 1 मुकेश डांगी को विक्रय कर दी हैं अब विपक्षी संख्या 1 द्वारा द्वारा प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की भूमि से जबरन प्रार्थीगण को बेदखल करने पर आमादा हैं जिससे विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निवेदन किया। उक्त प्रार्थना पत्र के जवाब में विपक्षी संख्या 1 द्वारा बताया कि प्रार्थनाग्रस्त भूमि वर्तमान राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 1 से 5 के नाम संयुक्त दर्ज है लेकिन आराजी का विभाजन खातेदारों के बिच में आपसी सहमती से पूर्व में ही किया जा चुका है इसी कारण प्रत्येक खातेदार अपने अपने हिस्से पर काबिज हो आधिपत्य है। प्रार्थनाग्रस्त भूमि विपक्षी संख्या 2, 3, 4 व प्रार्थीगण के नाम हिस्से अनुसार सभी राजस्व अभिलेखों में दर्ज थी जिसमें विपक्षी संख्या 2 का रकबा 0.4573 है. आपसी नोशन पार्टीशन के आधार पर उसका कब्जा था इसी कब्जे में से विपक्षी संख्या 1 द्वारा 967/4573 वां भाग को विधिवत रूप से जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र से खरीद कर कब्जा प्राप्त किया ऐसी स्थिति में विपक्षी संख्या 1 अपने हक आधिपत्य से काबिज है जिससे अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जा सकता। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।

हमने पाया कि वर्तमान राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 1 से 5 रेकॉडेड खातेदार है। प्रार्थनाग्रस्त भूमि विपक्षी संख्या 1 द्वारां प्रार्थनाग्रस्त भूमि के हिस्से को अभिलिखत खातेदार से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 16.06.2025 से क्रय किया है तथा जिसका नामान्तरण पारित होकर विपक्षी संख्या 1 होकर रेकॉडेड खातेदार है। रेकॉर्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। इस संबंध में अधिवक्ता विपक्षी द्वारा न्यायिक दृष्टान्त 2017(2) RRT 1358 BOARD OF REVENUE FOR RAJASTHAN AJER DHIRAJ VS. JAGDISH & ORS. का पेश किया गया जो इस प्रकरण पर हुबहु चस्पा होता है जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा स्पष्ट किया है कि खातेदार ने अपना हिस्सा विपक्षी को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा बेचान किया है व सदभावी क्रेता हैं जिससे अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जा सकता। विपक्षी संख्या 1 वर्तमान राजस्व रेकर्ड में रेकॉडेड खातेदार हैं। रेकॉडेड खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जा सकता। इस संबंध में न्यायिक [illegible] 1. 2018(1) RRT 692 BOARD OF REVENUE FOR RAJASTHAN AJER RAM [illegible] CHANDRA PRAKASH & ANR. DATE 14.07.2017 व 2. 2018(2) RRT 1275 BOARD OF REVENUE FOR RAJASTHAN AJER BHAGIRATH VS RAMCHANDRA & ORS. DATE 19.06.2018 को देखते है तो पाते है कि माननीय न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि रेकॉर्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। प्रकरण में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन व अपूरणीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.09.16 16:02:38 IST
Reason: SelfAttested

क्षति के बिन्दु प्रार्थी के विरूद्ध निर्णित किये गये। अन्य बिन्दुओं को मुल वाद में सबुत के आधार पर तय किया जायेगा। इस पत्रावली में हमें निर्णय के लिये बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन, अपूरणीय क्षति के तीनों बिन्दुओ के पर निर्णय करना हैं। प्रकरण में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन, अपूरणीय के बिन्दु प्रार्थी के विरूद्ध निर्णित किये जा चुके है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना अस्वीकार योग्य पाया जाता है।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्त अधिनियम का अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम हों।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.09.16 15:02:38 IST
Reason: SelfAttested